न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 139/2018

1 ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री नानूराम उम्र 46 साल
2 छाजूराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 45 साल
जाति माली निवासीगण ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट/प्रार्थीगण नम्बर 1 व 4

बनाम

1 सुरजाराम पुत्र झुथाराम (फौत) जाति माली निवासी नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
1/1 सुमेरसिंह दत्तक पुत्र सुरजाराम निवासी नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 बचनाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 57 साल
3 इन्द्राज सैनी पुत्र नानूराम उम्र 60 साल जाति माली निवासी नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 भूमिधारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.05.2018 पीठासीन अधिकारी श्री शिवपाल जाट आरएएस बउनवानी प्रकरण सुरजाराम बनाम छाजूराम आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 90/2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 90/2017 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा वाके ग्राम नेवरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के महत्वपूर्ण तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया, मामला सुविधा का संतुलन व अपूरर्णीय क्षति की बिन्दुओं पर अपना विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय निर्णय में प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं विवेचन नहीं किया गया है जो सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि गुलाबी देवी के विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है तथाकथित निर्णय पारित करने से पूर्व मातहत ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का कोई ध्यान नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

देकर नजर अंदाज किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली को कैम्प कोर्ट ग्राम नेवरी में सुनवाई करने से पूर्व पक्षकारान को कैम्प कोर्ट नेवरी में सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया है अर्थात अपीलार्थीगण को बिना किसी सुनवाई सूचना के पारित किया गया निर्णय कानूनन अपास्त होने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

पत्रालवी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए निर्धारित घटक प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किए बिना, अपीलांट को सुने बिना, प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्यों का विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 7.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर